

सम्पादकीय

असंसदीय कृत्य

नाकाम अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाएं भारत के लिए सबक



267 अरब अमेरिकी डालर का कुल लाभ हुआ जिसकी वजह से यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक उद्योग बन गया। मैकिन्से ने जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि शहेत्थ केयर प्रॉफिट पूल 7 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ेगा जो 2022 के 583 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2027 में 819 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को भी सावधान रहने की जरूरत है। एक अत्यधिक लाभ केन्द्रित क्षेत्र में जहां जनता का स्वास्थ्य ही पैसा कमाने का जरिया हो यह उन सभी चीजों की ओर इशारा करती है जो स्वास्थ्य क्षेत्र के संचालन के तरीके में शामिल नहीं होने चाहिये। इस बात से सबक लेना चाहिए है कि अब जो गुरुस्सा निकल रहा है वह सतह के नीचे था और लंबे समय तक टुकड़ों-टुकड़ों में देखा गया था।

दो साल पहले लिंकड़इन प्लेटफॉर्म पर एक संदेश पोस्ट किया था जिसमें कहा गया थारु श्वास्थ्य देखभाल को और अधिक किफायती बनाना . .. (है) अभी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दवा की कीमतों को कम करना और मूल्य पारदर्शिता में सुधार करना दो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम यूनाइटेड हेल्थकेयर के सदस्यों के लिए लागत कम करने के लिए काम कर रहे हैं। उस पोस्ट के नीचे की टिप्पणियां आंखें खोलने वाली थीं। एक ने लिखा— शुझे फेफड़ों का स्टेज-4 का मेटास्टैटिक कैंसर है। चिकित्सा दावों के लिए सभी अस्थीकृतियों के कारण हमने यूएचसी छोड़ दिया है। मनाही करने के लिए हर महीने एक अलग कारण होता है। इलाज के लिए आज तक हम 20,000 डॉलर से अधिक खर्च कर चुके हैं और इससे अधिक खर्च करना हमारी इस साल की आर्थिक क्षमता के बाहर है। चूंकि हमारी उम्र 60 साल से अधिक

का समय नहीं है। कई अन्य लोगों ने इस नाराजगी पर सहमति जाहिर की हालांकि पोस्ट पर कई शलाइकशी दर्ज किए। आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड हेल्थ केरय ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि अमेरिका की सभी बीमा कंपनियों की तुलना में इसकी उच्चतम इनकार दर है। कंपनी ने कहा कि वह लगभग 90 प्रतिशत चिकित्सा दावों को मंजूरी देती है और भुगतान करती है। लेकिन अन्य सर्वेक्षणों और रिपोर्टों ने बढ़ती लागत और बढ़ते दावों को नकारने पर निराशा और चिंताओं की ओर इशारा किया है। बीमा कंपनियों ने सामान्य रूप से इस प्रक्रिया को एक रोड ब्लॉक में बदल दिया है जिसे पार करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। हालांकि अब समूह के सीईओ एंड्रयू विट्टी इस बात से सहमत हो गए हैं कि प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा के बारे में अमेरिका में फैली निराशा भारत के लिए महत्वपूर्ण सबक है क्योंकि चिंता

मामले में हम अमेरिकी मॉडल की ओर झुक सकते हैं। यदि यह झुकाव पहले से ही नहीं है तो भी इसे अपनाना भारत में विनाशकारी साबित होगा जहां स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और भी अधिक चरमरा गई है। भारत में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के साथ विश्व स्तरीय देखभाल एवं उच्च मानकों का दावा किया गया है जो इलाज में बढ़ती लागत प्रदान करते हैं, जो अमीरों की देखभाल करते हैं तथा बाकी को छोड़ देते हैं। इस तरह भारतीय प्रणाली अमेरिका की तुलना में कई अधिक बोझ उठाती है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021–22 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब से बाहर का खर्च लगभग 40 फीसदी है। अमेरिकी प्रणाली अभी भी कई लोगों के लिए काफी अच्छी तरह से काम करती है। भारतीय प्रणाली के विपरीत वहां दवाएं निर्धारित की जाती हैं और उनके लिए भुगतान किया जाता है। बीमा या भुगतान करने

की क्षमता हो या न हो, कोई भी अस्पताल आपातकालीन इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। अस्पताल अग्रिम भुगतान की मांग नहीं करते हैं जैसी प्रथा भारत के लगभग सभी अस्पतालों में है। अमेरिका में बाद की तारीख के लिए निर्धारित बिलों की वसूली के साथ दिल की बीमारियों जैसी महत्वपूर्ण या उच्च लागत वाली सर्जरी सहित किसी आपातकालीन मामले में इलाज किया जाना करना पूरी तरह से संभव है। भारत में इनमें से किसी भी तरीके काम नहीं किया जाता है। भारतीयों की हताशा सबसे पहले उन लोगों के लिए देखभाल से इनकार करने पर है जो इलाज का भारी भरकम शुल्क वहन नहीं कर सकते। दूसरों के लिए यह डॉक्टर की सलाह की बढ़ी फीस, भारतीय अस्पतालों में कमरे के बढ़ते किराए और कई मामलों में डॉक्टरी पेशे के साथ बढ़ता मोहर्भंग तथा रोगियों के इलाज के तरीके हैं। बीमा लागत नाटकीय रूप से बढ़ी है तथा भारत में बुजुर्गों को कवरेज से वंचित कर दिया जाता है या कवरेज लागत नकारात्मक है।

व्यातिपादा, नुता बाजार, पूजापादा
व्यवस्था में इस तरह का विद्रोह
देखने को मिल सकता है तो
कम से कम भारत को अमेरिकी
व्यवस्था के करीब जाने या उसे
अपनाने से सावधान रहने की
जरूरत है। इसी मामले में जापान
के बारे में विचार करें जहां 1960
के दशक में सार्वजनिक स्वास्थ्य
सेवा कवरेज आया। वहां लगभग
सभी बीमारियों के उपचार कवर
किए गए हैं, अधिकांश सेवाएं एक
व्यवस्थित और दीर्घकालिक
देखभाल बीमा प्रणाली के जरिए
सस्ती हैं। ये ऐसे कुछ सबक हैं
जिन्हें हमें अस्वीकार करना
चाहिए। भारत में स्वास्थ्य जैसे
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमें नया सीखने
की जरूरत है।

ਏਕ ਦਰਾ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਸਥਾਨ ਕਿਲੋ ਖਤਰਾ !



द में एक देश एक चुन

बिल पेश किया गया, जो भारत की चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की कोशिश करता है। यह बिल कई दृष्टिकोणों से देश के संघीय ढांचे, लोकतात्रिक प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि यह बिल राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों की बचत के लिए जरूरी है। सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष इसके फायदे बिना रही है, लेकिन विपक्ष इसके अव्यवहारिकता और संवैधानिक चुनावियों को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है जो वाजिब भी है। सत्ता पक्ष के अनुसार केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होने पर चुनाव आयोग के खर्च में कमी आएगी। चुनावों के समय होने वाली घटिया आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से उत्पन्न कटुता और वैमनस्य कम होगा। सरकारें इलेक्शन मोड के

होगा। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इन परिवर्तनों को लाने का एकमात्र जरिया केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराना ही है? जब आप इन रंगीन भ्रांतियों का शिनाख करेंगे तो सच्चाई कुछ और निकलेगा। इस बिल के चर्चा में आने के बाद से सबसे ज्यादा इसके आर्थिक फायदा गिनाए जा रहे हैं। जहां तक चुनाव आयोग के खर्च का प्रश्न है तो 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 3000 करोड़ और 2019 में 4500 करोड़ रुपए का व्यय आकलित किया गया था। वही सिस्टम की लापरवाही के कारण पूंजीपतियों और भगोड़ों द्वारा देश के विभिन्न बैंकों को ऋणधनपीए के रूप में जो क्षति पहुंचाई गई, उसकी तुलना में ये राशि बहुत कम है। ये राशि केंद्र सरकार द्वारा अपने ब्रांडिंग और विज्ञापनों पर किए गए खर्च से भी कम है। वर्ष 2014-23 तक पूंजीपतियों के करीब 14.56 लाख

में कई चुनाव कराए जा सकते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि चुनाव आयोग पर आर्थिक बोझ दिखा कर भाजपा और अन्य दल अपना खर्च कम करना चाहते हैं। सीएमसी के अनुसार 2019 के लोस में खर्च हुए 60 हजार करोड़ में से बीजेपी का हिस्सा 45प्रतिशत था। और भाजपा का खर्च अमूमन 2014 के बाद हर चुनाव में बढ़ता ही जा रहा है। अगर सच में मोदी सरकार चुनाव आयोग के खर्च पर लगाम लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ कम करना चाहती है तो उसे एक देश एक चुनावश के बदले एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक तय हिस्सा चुनाव आयोग को दिया जाएगा। इही पैसे से चुनाव आयोजित होंगे। इससे जनता का खर्च कम होगा और चंदे को लेकर भी पारदर्शिता आएगी। बात-बात पर नेहरू को कोसने वाली जमात का दावा है कि

दोनों चुनाव एक साथ ही होना था, ये स्वाभाविक परिणति थी। कालांतर में इन दोनों चुनाव चक्रों का अलग-अलग होना भी स्वाभाविक था। संविधान निर्माता यह जानते थे। इसमें कोई विकृति नहीं है इसलिए चुनाव एकीकरण के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं समझे। दावा यह भी है कि एक बार चुनाव होने से मतदान प्रतिशत में बृद्धि होगी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि देश के बड़े सूबे उ.प्र., महाराष्ट्र, झारखण्ड, बिहार सहित कई राज्यों में लोकसभा के तुलना में विधानसभा में अधिक वोटिंग हुआ है। मतलब मतदाताओं का क्षेत्रीय मुद्दों की तरफ ज्यादा रुझान है। वहीं यह भी तर्क दिया जा रहा है कि बार-बार आचार संहिता की वजह से विकास कार्य प्रभावित होता है। अगर इसे सच्चाई भी मान लें तो इसके लिए संघीय ढांचे को नष्ट कर, शक्तियों का केंद्रीकरण करने की जरूरत नहीं है।

कर रहा हैं जो वाजिब भी है। सत्ता पक्ष के अनुसार केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होने पर चुनाव आयोग के खर्च में कमी आएगी। चुनावों के समय होने वाली पटिया आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से उत्पन्न कटृता और वैमनस्य कम होगा। सरकारें इलेक्शन मोड के लोकलुभावन निर्णयों के स्थान पर नेशन बिल्डिंग मोड के कठोर फैसले लेने में समर्थ होंगी।

होगा। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इन परिवर्तनों को लाने का एकमात्र जरिया केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराना ही है? जब आप इन रंगीन भाँतियों का शिनारख करेंगे तो सच्चाई कुछ और निकलेगा। इस बिल के चर्चा में आने के बाद से सबसे ज्यादा इसके आर्थिक फायदा गिनाए जा रहे हैं। जहां तक चुनाव आयोग के खर्च का प्रश्न है तो 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 3000 करोड़ और 2019 में 4500 करोड़ रुपए का व्यय

आकलित किया गया था।

गाले सारे चनावों को एक समय पर गौण हो जाएंगे। और केंद्र की शक्तियों

पालि रामर खुआया पगा इवं रामयने पर सम्पन्न कराकर प्रशासनिक सुधारों में वृद्धि होगी। इस कानून के

और विकास कार्यों को गति दी सकती है। विषय ने कोविंद समिति के सामने मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल खत्त होने के साथ ही विधानसभा

दल के लिए यह साथ ही विषय समाज का कार्यकाल स्वतरु समाप्त हो जाएगा।

जाएगा। इससे राज्य के मंत्री परिषद और विधानसभा के अधिकारों में भारी

जारी पिंडानामा का जायपत्राना बोलने का टौती होगी। राज्यपाल और

क्षत्रिय दलों का कमज़ार और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। राष्ट्रपति शासन द्वारा केंद्र में बैठी दल का राज्य में परोक्ष रूप से

